कार्यालय नगर निगम देहरादून

(सार्वजनिक सूचना)

पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 12 अगस्त, 2021 को जारी अधिसूचना संख्याः– सा0का0नि0571(अ) के माध्यम से विभिन्न Single Use Plastic से निर्मित उत्पादों (75 माईक्रोन से कम) के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर दिनांक 30.06.2022 से पूर्णतयः प्रतिबन्ध लगाया गया है।

तद्क्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम, देहरादून क्षेत्रान्तर्गत उक्त अधिसूचना के अनुसार दिनांक 01 जुलाई, 2022 की तारीख से पोलीस्टाइरीन (थर्माकोल) वस्तुओं सहित निम्नलिखित एकल–प्रयोग–प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग का निषेध किया जाएगा :–

(क) प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पोलीस्टाइरीन (थर्मोकोल) की सजावटी सामग्री।

(ख) प्लेटें, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों के इर्द–गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टीरर्र किसी भी प्रतिष्ठान, दुकान, व्यक्ति, व्यापारी द्वारा उपरोक्त का उल्लंघन किये जाने पर पालिका द्वारा नियम संगत धाराओं के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

नगर आयुक्त
नगर निगम, देहरादून।

मेयर
नगर निगम, देहरादून।

कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

(का0– 0135–2714074:फैक्स– 0135–2651060: ई–मेल– (nagarnigam.ddn@gmail.com)

पत्रांकः 1967 (ख)

दिनांकः 25/6/2022

प्रतिलिपिः–

1. सम्पादक, हिन्दुस्तान हिन्दी, समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को अपने समाचार पत्र के उत्तराखण्ड संस्करण में आगामी अंक के कम से कम स्थान में प्रकाशित करते हुए निर्धारित छूट के साथ बिल एवं समाचार पत्र की दो प्रति इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करे।
2. सम्पादक, द पाईनियर, समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को उत्तराखण्ड संस्करण के आगामी अंक के कम से कम स्थान में प्रकाशित करते हुए निर्धारित छूट के साथ बिल एवं समाचार पत्र की दो प्रति इस कार्यालय को प्रस्तुत करने का कष्ट करे।
3. श्री मनीष पन्त आई0 टी0 आफिसर को इस निर्देश के साथ कि उक्त सार्वजनिक सूचना को नगर निगम, देहरादून की बैबसाइट में दिनांक 30–06–2022 से पूर्व अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4. नगर निगम, देहरादून सूचना पट पर चस्पा हेतु।

25/6/22

मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी,
नगर निगम देहरादून।